

कार्यालय, झारखण्ड गो सेवा आयोग, राँची।

181

(पशुपालन भवन, द्वितीय तल, हटिया, हेसाग, राँची-834003)
Email ID:- jhgo sewaayog@gmail.com

संचिका संख्या:- झा.गो.से.आ.राँची /

पत्रांक:- 450

प्रेषक,

सचिव,
झारखण्ड गो सेवा आयोग,
राँची।

सेवा में,

जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी
राँची।

राँची/दिनांक:- 30/8/2024

विषय:- स्थानीय समाचार पत्रों में "इच्छा की अभिव्यक्ति" से संबंधित सूचना प्रकाशन के संबंध में। (अति अल्प कालीन)

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड गो सेवा आयोग, पशुपालन भवन, हेसाग, हटिया, राँची इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था से झारखण्ड राज्य के गोडडा जिले के प्रखंड गोडडा, पत्थरगामा एवं महागामा में गोबर आधारित प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति से संबंधित सूचना सभी दैनिक समाचार पत्रों प्रकाशित करने की कृपा की जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि हार्ड कॉपी एवं पेन ड्राईव में (प्रकाशित की जाने वाली सूचना) में किसी प्रकार का अंतर नहीं है।

अनुलग्नक:- हार्ड कॉपी एवं पेन ड्राईव।

विश्वासभाजन

सचिव,
झारखण्ड गो सेवा आयोग,
राँची।

कार्यालय, झारखण्ड गो सेवा आयोग, राँची।

(पशुपालन भवन, द्वितीय तल, हटिया, हेसाग, राँची-834003)

Email ID:- jhgoosewaayog@gmail.com

183

सूचना

अति अल्प कालीन

इच्छा की अभिव्यक्ति

Expression of Interest

झारखण्ड गो सेवा आयोग, पशुपालन भवन हेसाग, हटिया, राँची, इच्छुक एजेंसी/ गैर सरकारी संस्था से झारखण्ड राज्य के गोडडा जिले में (तीन प्रखंड— गोडडा, पत्थरगामा एवं महागामा) गोबर आधारित प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति से संबंधित प्रस्ताव दिनांक 06.09.2024 अपराहन 02:00 बजे तक सचिव, झारखण्ड गो सेवा आयोग, राँची द्वितीय तल, पशुपालन भवन, हेसाग, हटिया राँची – 834003 के पते पर मुहर बंद लिफाफे आमंत्रित की जाती है। उसी दिन अपराहन 03:00 बजे, कार्यालय, झारखण्ड गो सेवा आयोग, राँची में समिति के समक्ष इच्छा की अभिव्यक्ति से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव खोला जाएगा। इच्छा की अभिव्यक्ति से संबंधित विस्तृत दस्तावेज कार्यालय, झारखण्ड गो सेवा आयोग, राँची से दिनांक 31.08.2024 से प्राप्त की जा सकती है या आयोग कार्यालय के नोटिस बोर्ड, आयोग के वेबसाइट <http://jhgausagevaayog.org> पर भी देखा जा सकता है।

for NTC
30/8/24
सचिव

झारखण्ड गो सेवा आयोग

for NTC
30/8/24
राँची

कार्यालय, झारखण्ड गो सेवा आयोग, राँची।

(पशुपालन भवन, द्वितीय तल, हटिया, हेसाग, राँची-834003)
Email ID:- jhgosewaayog@gmail.com

सचिका संख्या-झा.गो.से.आ.राँची/इच्छा की अभिव्यक्ति/03/2023-24

अति अल्पकालीन

EOI No. 03
24-25

"इच्छा की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

झारखण्ड गो सेवा आयोग राँची द्वारा गोवंशीय पशुओं से होने वाले लाभों का प्रचार प्रसार, गोबर प्रसंस्करित उत्पाद के निर्माण से रोजगारोन्मुखी महिला सशक्तिकरण हेतु पाँच दिवसीय सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यशाला कार्य के निमित्त एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था के चयन के लिए "इच्छा की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण।

कार्यक्षेत्र:- गोडडा जिले के प्रखंड – गोडडा, पत्थरगामा एवं महागामा हेतु।
प्रत्येक प्रखण्ड से 20 महिलाओं का समुह का एक दल।

प्रशिक्षण अवधि:- प्रत्येक प्रखण्ड में 5 दिवसीय सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यशाला:-

- 1 "इच्छा की अभिव्यक्ति" संबंधित दस्तावेज (निःशुल्क) 31.8.2024
प्रपत्र प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि
- 2 "इच्छा की अभिव्यक्ति" संबंधित दस्तावेज प्रपत्र प्राप्त 06.9.2024
करने की अंतिम तिथि (अपराह्न 01:00 बजे तक)
3. "इच्छा की अभिव्यक्ति" जमा करने की अंतिम तिथि 06.9.2024
(अपराह्न 02:00 बजे तक)
4. "इच्छा की अभिव्यक्ति" संबंधित आवेदन खोलने की तिथि 06.09.2024
(अपराह्न 03:00 बजे)

इच्छा की अभिव्यक्ति संबंधी प्रस्ताव प्राप्त करने एवं जमा करने का स्थान:- सचिव,
झारखण्ड गो सेवा आयोग, राँची, द्वितीय तल, पशुपालन भवन, हेसाग, हटिया, राँची-
834003

प्रशिक्षण विषय:-

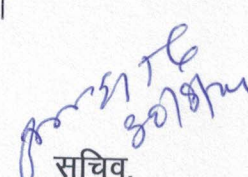
- गोबर उत्पादों के विभिन्न प्रकार और उनके उपयोग
- कच्चे माल की तैयारी (गोबर का संग्रहण, सुखाना, पीसना आदि)
- धूपबत्ती, अगरबत्ती, मूर्तियाँ और मूर्तियों को बनाने की प्रक्रिया
- उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण और पैकेजिंग
- विपणन और उद्यमिता विकास

1. एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था एक निबंधित (झारखण्ड राज्य में निबंधित संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी) संस्था होनी चाहिए।
2. एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था का पैन, जी०एस०टी० नम्बर अनिवार्य एवं गत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न दस्तावेज वांछनीय होगा।
3. एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था को अपने संस्थान के Non Black Listed होने से संबंधित दस्तावेज एवं झारखण्ड गो सेवा आयोग के अनुश्रवण तथा निर्देशों का पालन करने संबंधी शपथ पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
4. एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था को उक्त कार्यों का अनुभव होना चाहिए। (आवेदन के साथ संबंधित अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न होगा)

सामान्य निर्देश

5. गोडडा जिले के प्रखंड— गोडडा सदर, पत्थरगामा एवं महागामा में प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाना है। इसलिए वर्णित तीन प्रखंडों हेतु एजेन्सी/गैर सरकारी संगठन का चयन किया जाएगा।
6. चयनित प्रखण्ड के अन्तर्गत 20 महिला लाभुकों का चयन, चयनित एजेन्सी को स्वयं अपने स्तर से करना होगा। चयन हेतु निम्नवर्णित निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा:—
 - 6.1 महिला लाभुक की उम्र 18-60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए (आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा)।
 - 6.2 महिला संबंधित प्रखण्ड की निवासी होनी चाहिए।
 - 6.3 महिला परिवार में गोवंश (गाय, बैल, बछड़ा बाछी) होनी चाहिए। (संबंधित आवेदन वार्ड मेम्बर/मुखिया/जनप्रतिनिधि द्वारा अनुसंशित होनी चाहिए)
7. कार्य के निष्पादन एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु आवश्यक संसाधन यथा मशीन, सांचा, पेंट, सामग्री, ब्रश, चटाई बोर्ड एवं अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए। प्रशिक्षण कार्य हेतु अन्य आवश्यक संसाधन यथा बैठने के लिए कुर्सी, टेबल इत्यादि संबंधित एजेन्सी को वहन करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को जलपान/दोपहर का शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध कराना होगा जिसका वहन संबंधित एजेन्सी को करना होगा। संबंधित आवश्यक भौतिक संसाधन तथा मानव संसाधन एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था को अपने स्तर से उपलब्ध कराना होगा। (आवेदन के साथ उक्त का ब्यौरा भी संलग्न करना होगा।)

8. गोबर प्रसंस्करण उत्पाद निर्माण के प्रशिक्षण संबंधित प्रस्ताव प्रत्येक प्रखण्ड के लिए अलग-अलग सीलबंद लिफाफा में समर्पित करना होगा।
9. उपरोक्त वर्णित प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रति शिविर अधिकतम राशि, (कर रहित) रु० 40,000/- (चालीस हजार) मात्र देय होगी।
10. न्यूनतम निविदित दर का प्रखण्डवार चयन कर कार्य आवंटन किया जा सकेगा।
11. तकनीकी प्रस्ताव (आवेदन, दस्तावेज एवं अनुभव से संबंधित प्रस्ताव हेतु आवेदक को एक सीलबंद लिफाफा) वर्णित प्रखण्ड में कार्य किए जाने हेतु निर्धारित तिथि के अंदर कार्यालय में जमा करना होगा।
12. वित्तीय प्रस्ताव (प्रखंड वार न्यूनतम निविदित दर संबंधित प्रस्ताव) अलग-अलग लिफाफा में सीलबंद कर देना होगा।
13. तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रस्ताव को एक तीसरे लिफाफा में सीलबंद कर झारखण्ड गो सेवा आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय के अंदर जमा कराना होगा।
14. तकनीकी प्रस्ताव में उत्तीर्ण आवेदक के वित्तीय प्रस्ताव पर चयन हेतु अग्रेतर विचार किया जाएगा। प्रखण्डवार प्राप्त कुल वित्तीय प्रस्ताव को सूचिबद्ध करते हुए न्यूनतम निविदित दर का निर्धारण किया जाएगा।
15. विस्तृत जानकारी के लिए सचिव, झारखण्ड गो सेवा आयोग द्वितीय तल, पशुपालन भवन, हटिया हेसाग के पते पर सम्पर्क किया जा सकता है।


 सचिव,
 झारखण्ड गो सेवा आयोग,
 हटिया हेसाग।